

निदेशालय, विकलांग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक: 002-301 पी

दिनांक: 08 मई, 2014

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी  
गोरखपुर, मेरठ, बरेली ।

विषय: अनुदान संख्या:79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक:2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण आयोजनागत पक्ष में बजट आवंटन ।

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या: 79 के लेखाशीर्षक: 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण- आयोजनागत-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्र में कुल रू० 9,95,500/- (रूपये नौ लाख पच्चावन हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि संलग्न तालिकानुसार आपके जनपद में स्थित विधालयों हेतु एतद्वारा आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है।

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी०एम०-8 निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी०डी०ओ०रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेगे।
3. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
4. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये। जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
5. उपर्युक्त आवंटन निदेशालय के बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या 25 पर प्रविष्ट है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- 1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गोरखपुर, मेरठ, बरेली।
2. अधिक्षक/अधिक्षिका, मानसिक मंदित विकलांग जन हेतु आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली, गोरखपुर, मेरठ।
3. उपनिदेशक विभागीय संस्थायें।

(के०एन०सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

## विकलांग कल्याण निदेशालय

आवंटन तिथि: 08/05/2014

गावंटन आदेश संख्या: 002-301P - .

नुदान संख्या: 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

खाशीर्षक: 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

06 - मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्र

आयोजनागत  
(धनराशि रु. में)

अधिकारी / जनपद	01-वेतन	02-मजदूरी	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	39-औषधि तथा रसायन	41-भोजन व्यय	43-सामग्री एवं सन्पूर्ति	योग
-मेरठ-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --मानसिक मंदित केन्द्र	56000	160000	56000	2000	1500	15000	30000	3000	20000	36000	10000	389500
-बरेली-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --मानसिक मंदित केन्द्र	0	160000	0	0	0	15000	30000	3000	20000	22000	10000	260000
-गोरखपुर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --मानसिक मंदित केन्द्र	0	160000	0	0	0	15000	30000	3000	20000	108000	10000	346000
ग:	56000	480000	56000	2000	1500	45000	90000	9000	60000	166000	30000	995500

रया- नौ लाख पंचानबे हजार पाँच सौ)

रयाग- (रयया- नौ लाख पंचानबे हजार पाँच सौ)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(के0 एन0 सिंह)